रेलवे श्रमिक सहकारी बैंक लिमिटेड बीकानेर के मामले

1215. **श्रीमती सरला माहेश्वरी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 के अधीन गठित रेलवे-श्रमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीकानेर के वर्तमान निदेशक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने और इस दिशा में रजिस्ट्रार द्वारा स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद, नये निदेशक मंडल का चुनाव नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंक का वर्तमान निदेशक मंडल सहकारिता के सिद्धांतों का अवहेलना करके हिस्सेदारों की पूंजी का दुरुपयोग कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर राज सहायता

1216. **जा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्राम उपभोक्ताओं और उत्पादकों को राहत देने के लिए खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर राज सहायता देती है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इन क्षेत्रों को दी जाने वाली राज सहायता की अनुमानित राशि कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों की तुलना में उपरोक्त धनराशि में निरन्तर वृद्धि होती रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस धन-राशि में कमी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों को देखते हुए इन क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए राज सहायता में कमी कर के सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां। सरकार खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर राज सहायता प्रदान कर रही है । तथापि, उर्वरक उत्पादकों को दी जाने वाली राज सहायता उपभोक्ताओं के लिए है क्योंकि उत्पादकों के लिए यह बाध्यकर है कि वे किसानों को अधिसूचित मूल्यों पर उर्वरकों की बिक्री करें जो कि उत्पादन की लागत से कम है ।

(ख) 1990-91 के बजट अनुमानों में खाद्यान्नों तथा उर्वरकों के लिए व्यवस्थित राशियां क्रमश: 2200 करोड़ रु० और 4000 करोड़ रु० है ।

(ग) उर्वरक राजसहायता वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रही है और खाद्यान्न राज सहायता भी सामान्य वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रही है ।

(घ) वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों में उर्वरक राजसहायता के लिए 4500 करोड़ रु० का प्रावधान है । उत्पादको तथा उपभोक्ताओ दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को सीमित करने के विभिन्न उपायों पर सरकार सतत रूप से ध्यान देती है।